कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248 013
दूरभाषः 0135–2608974, फैक्स–2608973

निविदा संख्याः 03/17–04(02)/2015 दिनाँकः 01 अगस्त, 2017

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून मे वर्ष 2017–18 हेतु विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों हेतु डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लिए जाने की आवश्यकता है। अतः देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म आयोग के कार्यालय से निविदा प्रपत्र रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) जमा कर दि॰ 16.08.2017 तक किसी भी कार्यदिवस में सांय 6.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र–1 एवं 2 को सीलबन्द लिफाफे में आयोग के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त कराये जाने की अंतिम तिथि दि॰ 17.08.2017 (सायं 6.00 बजे तक) निर्धारित की जाती है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट urtsc.uk.gov.in से भी डॉउनलोड किया जा सकता है, और इस स्थिति में रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट ("सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून" के नाम से बनाकर) के रुप में निविदा प्रस्तुत करते समय जमा किया जाना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, और अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को रहेगा, जो सर्वमान्य होगा।

(पंकज नैथानी)
सचिव।

कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1 सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

निविदा संख्या – 03/4(2)–वाहन/2015 दिनाँकः अगस्त, 2017

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

क्र० सं०..
विक्रय दिनांक..............................
फर्म का नाम (जिसे जारी किया गया)

निविदा मूल्य– रूपये **=1000**
(Non Refundable)

सचिव

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 अथवा आगामी निविदा तिथि तक के लिए देहरादून के अनुभवी व इस प्रकार की सेवा हेतु सेवाकर में पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियों/फर्मो से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा के दो भाग होंगे – **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा**।

1– निविदादाताओं की अर्हता, अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र–1) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "तकनीकी निविदा" एवं ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का नाम अंकित होगा। धरोहर राशि के रूप में रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) की राशि सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ०डी०आर० या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो।

2– वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र–2 पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "वित्तीय निविदा" लिखा जायेगा।

3– तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफों को पुनः एक बडे लिफाफे में रखा जायेगा, जिस पर "किराये के वाहनों हेतु निविदा" तथा निविदादाता का नाम लिखा जायेगा और जो मोहरबन्द होगा।

निविदा दिनांक 17.08.2017 (सांय 6.00 बजे तक) तक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून में पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट द्वारा उपलब्ध करायी जा सकेगी। परन्तु पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट से प्राप्त होने वाली निविदाओं में डाक व्यवस्था के कारण हुए विलम्ब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। प्रथमतः दिनांक 18.08.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तकनीकी निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पायी गई तकनीकी निविदाओं के निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी, जिसके लिए तत्संबंधी समिति द्वारा पृथक से समय निर्धारित कर निविदादाताओं को ससमय सूचित किया जायेगा अथवा दिनांक 18.08.2017 को ही इन्हे उक्त परीक्षणोपरान्त खोला जा सकेगा। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि/समय पर समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथियों में यदि कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है, तो अगले कार्यालय कार्यदिवस पर निर्धारित समय पर ही निविदा खोली जायेंगी।

पात्रता की आवश्यक शर्ते–

1. निविदादाता को किराये की टैक्सी उपलब्ध करवाने संबंधी सेवा हेतु आर॰टी॰ओ॰ व सेवाकर कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे देना होगा।
2. निविदादाता को सरकारी विभाग में न्यूनतम 03 वर्षो का सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे देना होगा।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में डीजल/ पेट्रोल चलित न्यूनतम 3 वाहन (इनोवा/ स्विफ्ट डिजायर/ आर्टिगा) टैक्सी परमिट पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा, जिनका मेक मॉडल वर्ष 2014 अथवा उसके बाद का होना चाहिए तथा सम्बन्धित वाहनों की तकनीकी वैधता अवधि कालातीत नहीं होनी चाहिए।
4. निविदादाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख होना चाहिए तथा इन वर्षो में फर्म घाटे में नही रही हो (कम से कम नवीनतम तीन वर्षो की सी॰ए॰ ऑडिटेड बैलेंस शीट संलग्न होनी चाहिए)।

वाहनों की मांग एवं आपूर्ति–

01 (एक) इनोवा कार, 01(एक) अर्टिगा तथा 01 (एक) स्विफ्ट डिजायर वाहन की नियमित रूप से मासिक आधार पर आवश्यकता होगी, जिसकी संख्या घट–बढ सकती है। मासिक आधार पर आपूर्ति किये जाने वाला कोई भी वाहन वर्ष 2014 से पूर्व का मेक–मॉडल/निर्मित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय–समय पर अन्य वाहनों की भी उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु आवश्यकता पड सकती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय–समय पर मांग के अनुसार मुख्यालय तथा उपर्युक्त स्थलो पर वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।

सफल निविदादाता/निविदादाताओं को कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने हेतु आयोग के कार्यालय के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च, 2018 अथवा आगामी निविदा तिथि तक मान्य रहेगी। आयोग की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा और उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

चयन प्रकिया–

निविदा हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को ही इस हेतु निर्धारित तिथि व समय पर समिति द्वारा खोला जायेगा।

वित्तीय निविदा में प्रतिवाहन मूल दर तथा कर आदि अलग–अलग स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों के प्रकार के अनुसार ए॰सी॰/नॉन ए॰सी॰, पहाड/मैदान, दूरी (कि॰मी॰) प्रतिदिन, कार्य घण्टे/अवधि आदि मानकों को ध्यान में रखते हुये दरें प्रपत्र–2 में अंकित की जाय।

तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरें सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित किया जायेगा। मासिक आधार पर व दैनिक आधार पर अथवा अलग अलग प्रकार के वाहनों के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं को भी चयनित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जायेगा व अनुबंध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। चयनित निविदादाता के निर्धारित समय तक अनुबंध हेतु उपस्थित न होने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अगले निविदादाता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। अन्तिम रूप से न्यूनतम दरों के लिए नेगोसियेशन भी किया जा सकेगा।

जमानत राशि (Security Money)-

सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर रूपये 50000/–(पचास हजार मात्र) की जमानत राशि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के नाम एफ॰डी॰आर॰ अथवा बैंक गांरटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, जो कि अनुबंध किये जाने के पश्चात कम से कम 18 माह की अवधि तक वैध हो, जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी।

भुगतान – भुगतान के लिए निम्न व्यवस्था रहेगी:–

1. किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 1 (एक) माह के अन्तराल में किया जायेगा।
2. मासिक आधार पर लिये गये वाहन हेतु – लॉग बुक में प्रविष्ठियां सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सत्यापित की जायेगी। तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. दैनिक आधार अथवा बाहय् यात्रा पर लगे वाहन हेतु – बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी, यात्रा उदेश्य आदि का विवरण संलग्न करना होगा।
4. वाहन का भुगतान अनुमोदित दर तथा डीजल/पेट्रोल की देयता खपत दर के आधार पर किया जायेगा।
5. भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून का निर्णय अंतिम होगा।

निविदा की अन्य नियम एवं शर्ते–

प्रश्नगत निविदा के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित **नियम एवं शर्ते** लागू होंगी, जिनकी पुष्टि में साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक होगाः–

1. निविदादाता की पृथक से कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तो के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का सेवा पंजीकरण, पैन/टिन न०, आयकर रिर्टन की विगत दो वित्तीय वर्षो की प्रति एवं वाहनो के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी से पंजीकरण प्रपत्रों (फिटनेस तथा वाहन बीमा) की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होंगी। साथ ही निविदादाता को विगत 03 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस अवधि में विभिन्न राजकीय विभागों किये गये कार्य के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में न्यूनतम 3 टैक्सी वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा, सम्बन्धित वाहन की तकनीकी वैधता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए। मासिक आधार पर वर्ष 2014 या उसके बाद के वाहन उपलब्ध करवाने हेतु शेष आवश्यकता हेतु सफल निविदादाता को अन्य वाहनों स्वामियों के साथ रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी एवं ट्रेवल एजेन्सी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के कम में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।
4. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे वाहनों के पंजीकरण/करों की देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर लें एवं तद्आशय का प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वाहन परिवहन विभाग से टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए।
5. उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु सेवा प्रदाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होंगी।

6. चालक का मानदेय, वाहन का रख रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन करना होगा। चालक का कार्य व व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। ड्राईविंग करते समय धूम्रपान, गुटखा खाने तथा मोबाईल सुनने की अनुमति नहीं होगी।

7. प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म को अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करों तथा टोल टैक्स का भुगतान सेवा–प्रदाता के द्वारा बिल के साथ सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत करने पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा किया जायेगा।

8. सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की कार्य करने की अवधि 10 घंटे होगी जो प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक नियत होगी यद्पि उक्त समय सीमा का निर्धारण आयोग स्तर पर किया जायेगा, जो सफल निविदादाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म पर बाध्यकारी होगा।

9. मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों को प्रत्येक माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। किन्तु विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

10. मासिक आधार पर लिये गये वाहन की प्रत्येक अनुपस्थिति दिवस हेतु माह के बीजक से मासिक किराया दर से अनुपातिक कटौती करते हुए ₹ 500 प्रति दिन की पेन्लटी की भी कटौती की जायेगी।

11. मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में अंकित न्यूनतम दर के अनुरूप ही रहेगा चाहे वह वाहन कुछ दिनों मुख्यालय से बाहर की यात्राओं पर भी गया हो।

12. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ट्रेवल एजेन्सी/फर्म/सेवा–प्रदाता के बिल में से उतनी राशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राषि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पडा हो।

13. सेवा–प्रदाता के वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव व ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा, जिसका रख–रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म स्वामी का होगा।

14. वाहनों के संचालन की गणना आयोग के कार्यालय एवं यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रीडिंग का अंकन रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा गैराज से अधिकारी के आवास अथवा वापसी में कुल यात्रा हेतु वास्तविक दूरी अथवा 8 किमी जो भी कम हो की दूरी अनुमन्य होगी। वाहन चालकों को वाहन के रख–रखाव, साज–सज्जा, सफाई, अनुशासन, आज्ञापालन, एवं समयबद्वता का विशेष पालन करना

होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा।

15. कार व टैक्सी का चालक किसी भी अधिकारी व कार्मिक से यात्रा अवधि में किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेगा।
16. आयोग के मुख्यालय से बाहर जाने पर चालक की समस्त रात्रि व्यवस्था सम्बन्धित फर्म ही करेगी।
17. वाहन चालकों को ड्यूटी अवधि में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी।
18. अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के साथ वाहन से सम्बन्धित सभी वैधानिक कागजात वाहन में रखने अनिवार्य होंगे।
19. वाहन चालक के बीमा तथा अन्य वैधानिक देयताओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म स्वामी की होगी।
20. मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रपत्र–1: तकनीकी निविदा का प्रपत्र

निविदा संख्याः 03/4(2)–वाहन/2015 दिनाँकः अगस्त, 2017

1. निविदा की तिथि ....

2. सेवाकर कार्यालय से प्राप्त पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

....

3. पैन/टिन संख्या (गत् 03 वर्षो के आयकर रिर्टन संलग्न करें)

....

4. स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में उपलब्ध वाहनों का विवरणः–

वाहन की पंजीकरण संख्या	प्रकार	डीजल/पेट्रोल	मेक मॉडल वर्ष	स्वामित्व (स्वयं/हिस्सेदारी)	बीमा की वैध तिथि	तकनीकी फिटनेस की वैध तिथि

नोटः– पंजीकरण, बीमा तथा फिटनेस के प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. सरकारी विभागों में कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

.............................वर्ष

6. वार्षिक टर्नओवर

वर्ष	टर्नओवर (रूपये में)	बैंलेस शीट की प्रति संलग्न (हां/नहीं)
2013–14		
2014–15		
2015–16		
2016–17		

7. धरोहर राशि का विवरण...

8. कोई शर्त, यदि हो तो...

....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

प्रपत्र–2: वित्तीय निविदा का प्रपत्र

निविदा संख्याः 03/4(2)–वाहन/2015 दिनाँकः जुलाई, 2017

1. निविदा की तिथि ....

2. किराये की दरें (डीजल वाहन हेतु)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार		मसिक किराया/दर	औसत किमी./ली.	दैनिक किराया/दर (05 घण्टे– 50 किमी)	दैनिक किराया/दर (10 घण्टे–100 किमी)	दर अतिरिक्त किमी. हेतु	दर अतिरिक्त घण्टे हेतु
1.	इनोवा–क्रिस्टा	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
2.	इनोवा–वी.एक्स	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
3.	हयून्डई क्रेटा	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
4.	हॉंडा सिटी	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
5.	स्विफ्ट डिजायर	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
6.	इंडिगो सी.एस.	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
7.	इंडिका	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

3. किराये की दरें (पेट्रोल वाहन हेतु)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार		मसिक किराया / दर	औसत किमी. / ली.	दैनिक किराया / दर (05 घण्टे– 50 किमी)	दैनिक किराया / दर (10 घण्टे– 100 किमी)	दर अतिरिक्त किमी. हेतु	दर अतिरिक्त घण्टे हेतु
2.	इनोवा–किस्टा	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
2.	इनोवा–वी.एक्स	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
3.	हयून्डई क्रेटा	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
4.	होंडा सिटी	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
5.	स्विफ्ट डिजायर	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
6.	इंडिगो सी.एस.	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						
7.	इंडिका	AC-Hills						
		AC-Plains						
		Non AC-Hills						
		Non AC-Plains						

(हस्ताक्षर एवं मोहर)